CENTRAL COAL FIELDS LIMITED
(A subsidiary of Coal India Limited)
Office of the Project Officer,
Churi Benti UG
P.O: Ray -829209, Dist: Ranchi (Jharkhand).

Ref No: PO (Churi Benti)/forest/2021/ 71 Date: 11/8/2021

To,
The Divisional Forest Officer
Chatra South
Van Bhavan, Chatra

Sub: **Regarding diversion of forest land (281.17 ha) under the Churi Benti UG forest clearance proposal**

Ref no: **Letter no 1946 dated 02.08.2021**

Sir,

In reference to the above mentioned letter the point wise compliance is as follows:

S.No	Observation	Compliance
1	मैनुअल फार्म - ए , पार्ट-1 । न. पी .भी / क्षतिपूरक वनरोपण कराने हेतु राशि भुगतान करने से संबंधित वचनबधता प्रमाण पत्र पर पदाधिकारी का नाम , पदनाम तिथी एवं हस्ताक्षर अंकित की उसे ऑनलाइन पार्ट -1 के additional document मे अपलोड किया जाए।	न. पी .भी / क्षतिपूरक वनरोपण कराने हेतु राशि भुगतान करने से संबंधित वचनबधता प्रमाण पत्र ऑनलाइन पार्ट -1 के additional document मे अपलोड किया जा रहा है
2	प्रस्ताव मे समर्पित विवरणी जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा सत्यापित किया गया है की हस्ताक्षरिक प्रति ऑनलाइन पार्ट -1 के additional document मे अपलोड किया जाए।	प्रस्ताव मे समर्पित विवरणी अधोहस्ताक्षरी द्वारा सत्यापित किया गया है जो की उपायुक्त , चतरा द्वारा निर्गत अधिनियम, 2006 मे संबंधित प्रमाण पत्र मे सलग्न है। प्रति ऑनलाइन पार्ट -1 के additional document मे पत्रांक PO/Churi/compliance/20-21/1708 dated 17.11.2020 से अपलोड किया गया है । (page 136 -137) । प्रति को पुनः सलग्न किया जा रहा है ।

11/8/21

3	फार्म - ए , पार्ट-1 के कंडिका K (I) मे वनधिकार अधिनियम, 2006 मे संबंधित प्रमाण पत्र मात्र रांची वन प्रमंडल से संबंधित रकबा का ही अपलोड किया गया है । इस प्रमंडल से संबंधित उपायुक्त , चतरा द्वारा निर्गत अधिनियम, 2006 मे संबंधित प्रमाण पत्र एवं इस क्रम मे हुई ग्राम बैठक कार्यवाही की प्रति Part - I मे ऑनलाइन मे अपलोड करते हुए संशोधित part - 1 की हस्ताक्षरिक प्रति प्रति प्रस्ताव मे संलग्न करना अनिवार्य है।	वनधिकार अधिनियम, 2006 मे रांची एवं चतरा वन प्रमंडल से संबंधित प्रमाण पत्र. एवं इस क्रम मे हुई ग्राम बैठक कार्यवाही की प्रति ऑनलाइन पार्ट -1 के additional document मे पत्रांक PO/Churi/compliance/20-21/1708 dated 17.11.2020 से अपलोड किया गया है । उपायुक्त , चतरा द्वारा निर्गत अधिनियम, 2006 मे संबंधित प्रमाण पत्र एवं इस क्रम मे हुई ग्राम बैठक कार्यवाही की प्रति page 134 - 149 मे है। प्रति को पुनः सलग्न किया जा रहा है ।

This is for your kind information and further necessary action please.

Thanking You

Yours faithfully

11/8/21

Project Officer
Churi Benti UG, CCL

परियोजना पदाधिकारी
चुरी बेंती अंडरग्राउण्ड परियोजना
एन० के० एरिया, सी० सी० एल०

Enclosure: As mentioned above

Copy to:

1) General Manager , NK Area: for kind information
2) General Manager (Env.)/HOD (E&F), CCL : for kind information
3) SO(P&P), NK area
4) O/C

CENTRAL COAL FIELDS LIMITED
(A subsidiary of Coal India Limited)
Office of the Project Officer,
Churi Benti UG
P.O: Ray -829209, Dist: Ranchi (Jharkhand).

Ref No: PO (Churi Benti)/forest/2021/ 1048

Date: 11/8/2021

TO WHOM EVER IT MAY CONCERN

We do hereby undertake that NPV/Additional NPV and compensatory afforestation/ Additional compensatory afforestation and others as well as cost for protection and regeneration of safety zone as per demand from DFO, Chatra will be deposited within the stipulated time for Churi Benti U/G Project.

11/8/21

(B. Sharma)
Project Officer
Churi Benti U/G Project

परियोजना पदाधिकारी
चुरी बेंती अंडरग्राउन्ड परियोजना
एन० के० एरिया, सी० सी० एल०

समाहरणालय, चतरा

जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक की कार्यवाही

दिनांक–19.08.2016 को अपराह्न 3:30 बजे जिला वन अधिकार समिति, चतरा की बैठक माहरणालय सभा कक्ष में सम्पन्न हुई, जिसमें चतरा जिला अंतर्गत अंचल टण्डवा के ग्राम बेंती में वन एवं जंगल–झाड़ी भूमि पर चुरी–बेंती कोल परियोजना हेतु संबंधित ग्राम वन अधिकार समिति द्वारा दिए गये वन एवं जंगल–झाड़ी भूमि के उपयोग हेतु अनुमंडल वन अधिकार समिति सिमरिया के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की अनुशंसा के आधार पर जिला वन अधिकार समिति चतरा द्वारा निम्नांकित ग्राम के वन एवं जंगल–झाड़ी भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए बैठक आहूत की गई जिसमें निम्नांकित सदस्य उपस्थित हुए।

उपस्थिति

1. अध्यक्ष
   जिला वन अधिकार समिति
   –सह–
   उपायुक्त, चतरा।
2. वन प्रमंडल पदाधिकारी
   उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा।
3. वन प्रमंडल पदाधिकारी,
   दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा।
4. अपर समाहर्त्ता,
   चतरा।
5. जिला कल्याण पदाधिकारी, चतरा।
6. श्री रामे टाना भगत
   (सदस्य)
   सिदपा, टण्डवा।
7. श्रीमति शोभा कुजूर
   (सदस्य)
   कल्याणपुर, टण्डवा।
8. श्री सरयू उराँव
   (सदस्य)
   सिन्दरीवार, सिमरिया।

...धिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत चतरा जिला के अंचल टण्डवा अंतर्गत ग्राम बेंती में चुरी-बेंती कोल परियोजना से संबंधित भूमि विवरणी।

...क	अंचल का नाम	ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	वन भूमि का रकवा (एकड़ में)	जंगल झाड़ी का रकवा (एकड़ में)	कुल अपयोजित भूमि का रकवा (एकड़ में)	कुल अपयोजित भूमि का रकवा (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	टण्डवा	बेंती	97	98	888	0.50	7.40	7.90	3.20
					1224	5.60	0.00	5.60	2.26
					1225	16.70	4.00	20.70	8.38
					1331	0.00	2.10	2.10	0.85
					1339	45.50	11.50	57.00	23.07
					1464	1.25	0.00	1.25	0.50
					1474	16.00	10.75	26.75	10.82
					1475	34.52	6.90	41.42	16.76
					कुल योग	**120.07**	**42.65**	**162.72**	**65.84**

2. सर्व सम्मति से उपरोक्त सारणी में वर्णित भूमि के संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्रामों में «अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम 2008 एवं संशोधित अधिनियम, 2012 के अंतर्गत Settlement of Rights की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।

3 सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि सभी ग्रामों में आदिम जनजाति समूहों एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा–3 (1)(e) के अनुसार विशेष रूप से रक्षित किया गया है।

4. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि सभी ग्रामों में वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।

5. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि <u>चतरा जिला अंतर्गत अंचल टण्डवा के ग्राम बेंती में प्रस्तावित कुल 162.72 एकड (65.84 हे0) पर चुरी–बेंती कोल परियोजना</u> हेतु उपरोक्त सारणी में वर्णित भूमि के अपयोजन में जिला वन अधिकार समिति, चतरा को कोई आपत्ति नहीं है।

रामेटानाभगत

श्री रामे टाना भगत
(सदस्य)
सिदपा, टण्डवा।

श्रीमति शोभा कुजूर
(सदस्य)
कल्याणपुर, टण्डवा।

श्री सरयु उरॉव 19/8
(सदस्य)
सिंदरीवार, सिमरिया।

जिला कल्याण पदाधिकारी
चतरा।

अपर समाहर्त्ता
चतरा।

वन प्रमंडल पदाधिकारी
उत्तरी वन प्रमंडल,चतरा।

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा।

अध्यक्ष, जिला वनाधिकार समिति
–सह–
उपायुक्त, चतरा।

FORM-II

(For projects other than linear projects)

Government of Jharkhand

Office of the District Collector, Chatra

*****

No. 809 "A"

Dated.. 31/08/2016

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **65.84** hectares **(162.72 acres)** of forest land proposed to be diverted in favour of **C.C.L** for **Churi-Benti Coal Project** in **Chatra** district falls within jurisdiction of **Benti** village in **Tandwa** tehsil.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **65.84** hectares **(162.72 acres)** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **I** to annexure **III**.

(b) the proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

(c) the each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of **Benti** village is enclosed as annexure **I**

(d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

(e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;

(f) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encls.: As above.

Sandeep Singh

समाहरणालय,चतरा
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक की कार्यवाही

दिनांक–19.08.2016 को अपराह्न 3:30 बजे जिला वन अधिकार समिति, चतरा की बैठक माहरणालय सभा कक्ष में सम्पन्न हुई, जिसमें चतरा जिला अंतर्गत अंचल टण्डवा के ग्राम बेंती में वन एवं जंगल–झाड़ी भूमि पर चुरी–बेंती कोल परियोजना हेतु संबंधित ग्राम वन अधिकार समिति द्वारा दिए गये वन एवं जंगल–झाड़ी भूमि के उपयोग हेतु अनुमंडल वन अधिकार समिति सिमरिया के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की अनुशंसा के आधार पर जिला वन अधिकार समिति चतरा द्वारा निम्नांकित ग्राम के वन एवं जंगल–झाड़ी भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए बैठक आहूत की गई जिसमें निम्नांकित सदस्य उपस्थित हुए।

उपस्थिति

1. अध्यक्ष
   जिला वन अधिकार समिति
   –सह–
   उपायुक्त, चतरा।
2. वन प्रमंडल पदाधिकारी
   उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा।
3. वन प्रमंडल पदाधिकारी,
   दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा।
4. अपर समाहर्त्ता,
   चतरा।
5. जिला कल्याण पदाधिकारी,चतरा।
6. श्री रामे टाना भगत
   (सदस्य)
   सिदपा, टण्डवा।
7. श्रीमति शोभा कुजूर
   (सदस्य)
   कल्याणपुर, टण्डवा।
8. श्री सरयू उरॉव
   (सदस्य)
   सिन्दरीवार, सिमरिया।

धिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत चतरा जिला के अंचल टण्डवा अंतर्गत ग्राम बेंती में चुरी-बेंती कोल परियोजना से संबंधित भूमि विवरणी।

क	अंचल का नाम	ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	वन भूमि का रकवा (एकड़ में)	जंगल झाड़ी का रकवा (एकड़ में)	कुल अपयोजित भूमि का रकवा (एकड़ में)	कुल अपयोजित भूमि का रकवा (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	टण्डवा	बेंती	97	98	888	0.50	7.40	7.90	3.20
					1224	5.60	0.00	5.60	2.26
					1225	16.70	4.00	20.70	8.38
					1331	0.00	2.10	2.10	0.85
					1339	45.50	11.50	57.00	23.07
					1464	1.25	0.00	1.25	0.50
					1474	16.00	10.75	26.75	10.82
					1475	34.52	6.90	41.42	16.76
					कुल योग	**120.07**	**42.65**	**162.72**	**65.84**

2. सर्व सम्मति से उपरोक्त सारणी में वर्णित भूमि के संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्रामों में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम 2008 एवं संशोधित अधिनियम, 2012 के अंतर्गत Settlement of Rights की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।

3 सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि सभी ग्रामों में आदिम जनजाति समूहों एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा–3 (1)(e) के अनुसार विशेष रूप से रक्षित किया गया है।

4. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि सभी ग्रामों में वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।

5. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि <u>चतरा जिला अंतर्गत अंचल टण्डवा के ग्राम बेंती में प्रस्तावित कुल 162.72 एकड (65.84 हे0) पर चुरी–बेंती कोल परियोजना</u> हेतु उपरोक्त सारणी में वर्णित भूमि के अपयोजन में जिला वन अधिकार समिति, चतरा को कोई आपत्ति नहीं है।

रामेटानाभगत

श्री रामे टाना भगत
(सदस्य)
सिदपा, टण्डवा।

श्रीमति शोभा कुजूर
(सदस्य)
कल्याणपुर, टण्डवा।

सरयु उरांव 19/8
श्री सरयु उराँव
(सदस्य)
सिंदरीवार, सिमरिया।

जिला कल्याण पदाधिकारी
चतरा।

अपर समाहर्त्ता
चतरा।

वन प्रमंडल पदाधिकारी
उत्तरी वन प्रमंडल,चतरा।

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा।

अध्यक्ष, जिला वनाधिकार समिति
–सह–
उपायुक्त, चतरा।

समाहरणालय चतरा
(राजस्व शाखा)

पत्रांक ..../रा0 चतरा दिनांक / /2010

प्रेषक,

उपायुक्त,
चतरा ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
पश्चिमी वन प्रमण्डल,
हजारीबाग ।

विषय:-- **चतरा जिला अन्तर्गत अंचल टण्डवा में सी0सी0एल0 अन्तर्गत चूरी – बेंती परियोजना हेतु गैरमजरूआ जंगल अथवा जंगल झाड़ी भूमि का गैर वानिकी उपयोग के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सूचित करना है कि चतरा जिला अन्तर्गत अंचल टण्डवा में सी0सी0एल0 अन्तर्गत चूरी–बेंती परियोजना हेतु राजस्व अभिलेख में गैरमजरूआ खास जंगल अथवा जंगल झाड़ी अंकित 17.25 हेक्टेयर भूमि का गैरवानिकी उपयोग के लिए सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त करने की नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाय ।

भू–विवरणी संलग्न ।

विश्वासभाजन,

अनुलग्न – यथोक्त ।

उपायुक्त
चतरा ।

ज्ञापांक 748 /रा0 दिनांक 27.8.2010

प्रतिलिपि:– सरकार के विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित ।

उपायुक्त
चतरा ।

LAND DETAILS OF BENTI BLOCK (SECTOR :A) ACQUIRED IN BENTI VILLAGE UNDER CBA ACT VIDE S.O.NO.761 DATED 17.02.1982

Village :	Benti	Schedule of G.M.K. (Jungle- Jhari)Land				
Thana No :	97					
Thana :	Tandwa					
District :	Chatra					
State :	Jharkhand					
S.No	Khata No.	Plot No.	Plot area (In Acre)	Acquired area recorded as Jungle jhari	Area required (In Acre)	Remarks
1	98	888	41.25	39.00	7.40	जंगल झाड़ी
2	98	1225	40.00	18.50	4.00	जंगल झाड़ी
3	98	1331	2.10	2.10	2.10	जंगल झाड़ी
4	98	1339	57.00	11.50	11.50	जंगल
5	98	1474	60.00	10.75	10.75	जंगल
6	98	1475	48.50	6.90	6.90	जंगल
			248.85	88.75	42.65	
			100.7 Ha	35.91 Ha	17.25 Ha	

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
चतरा

अनुमंडल पदाधिकारी
चतरा

अपर समाहर्त्ता
चतरा

उपायुक्त
चतरा

Project Officer
Churi Colliery, CCL
P.O. Ray, Ranchi

उपमहाप्रबंधक / विभागाध्यक्ष (वन)
DY.GM / HOD (Forest)
CCL Darbhanga House, Ranchi

आज दिनांक–09.08.2016 को अनुमण्डल स्तरीय वन अधिकार समिति–सह–अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमरिया की अध्यक्षता में वन अधिकार अधिनियम से संबंधित बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :– पंजी के अनुसार ।

कार्यवाही

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित पदाधिकारीयों एवं सदस्यों का स्वागत किया गया तथा निम्नलिखित निर्णय लिया गया।

1. **चुरी खदान परियोजना :–**
   अंचल अधिकारी, टण्डवा के पत्रांक–527, दिनांक–13.05.2016 के द्वारा दिनांक–16.05.2016 को ग्राम पंचायत मुख्यालय बेंती में चुरी खदान के भूमि गत खान के उपयोग के लिए बेंती ग्राम पंचायत अंतर्गत 65.84 हेक्टेयर वन भूमि (गै0खास–जंगल झाडी–17.25 हेक्टेयर एवं वन भूमि 48.59 हेक्टेयर) का वन भूमि अपयोजन हेतु ग्राम सभा आयोजित की गई। इस ग्राम सभा में उक्त परियोजना हेतु सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि खादान का कार्य चलने देने में कोई आपत्ति नहीं है। इस ग्राम सभा की पंजी अंचल अधिकारी, टण्डवा के पत्रांक–819, दिनांक–01.08.2016 के द्वारा अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराई गई है।
   उपर्युक्त चुरी खदान के संबंध में अनुमण्डल स्तरीय वन समिति में विचार विमर्श कर इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया।

2. अंचल अधिकारी, टण्डवा से प्राप्त 01 दावा अभिलेख आज दिनांक–09.08.2016 की बैठक में रखा गया, जिसे अनुमण्डल स्तरीय वन अधिकार समिति में सर्वसम्मति से पारित किया गया, जो निम्नवत है ।

प्रखण्ड–टण्डवा

अभिलेख सं0	ग्राम	रैयत क्रमांक	रैयत का नाम	पिता का नाम	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकबा एकड़	अभ्युक्ति
1/2016-17	सराढ़ु (देवलगढा)	1	सावना उरॉव	चम्पा उरांव	278	486/3	0.40	
कुलयोग–							**0.40**	

अनुमण्डल स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपर्युक्त सभी पारित अभिलेखों को अंतिम स्वीकृति हेतु अनुशंसा के साथ जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को भेजा जाय ।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई ।

09/08/16
अध्यक्ष,
अनुमण्डल स्तरीय वन अधिकार समिति
–सह–
अनुमण्डल पदाधिकारी,
सिमरिया ।

ए0 के0 राय
परियोजना पदाधिकारी
चुरी भूमिगत परियोजना
सी0 सी0 एल0

ज्ञापांक–963 /सा0, दिनांक–10/08/16

प्रतिलिपिः–जिला कल्याण पदाधिकारी, चतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
प्रतिलिपिः– अपर समाहर्त्ता, चतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः–उपायुक्त, चतरा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

उपमहाप्रबन्धक / विभागाध्यक्ष
पर्यावरण एवं वन विभाग
सी० सी० एल० दरभंगा हाउस
राँची

09/08/16
अध्यक्ष,
अनुमण्डल स्तरीय वन अधिकार समिति
–सह–
अनुमण्डल पदाधिकारी,
सिमरिया

Project Officer
Churi Colliery (C.C.L.)
P.O.-Ray; Distt.-Ranchi

कार्यालय अंचल अधिकारी, टण्डवा(चतरा)।

Email ID – tandwa.co@gmail.com

पत्रांक 819 दिनांक 1.8.2016

प्रेषक,

अंचल अधिकारी,
टण्डवा(चतरा)।

सेवा में,

अनुमण्डल पदाधिकारी,
सिमरिया।

विषय :– **चुरी खदान के भूमिगत खान के उपयोग के लिए अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत ग्राम सभा से सहमति एवं अनापत्ति प्राप्त करने हेतु ग्राम सभा के संबंध में।**

प्रसंग :– **अपर समाहर्ता, चतरा के पत्रांक– 322/रा0, दिनांक 13.04.2016**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में चुरी खदान के भूमिगत खान के उपयोग के लिए बेंती ग्राम पंचायत अन्तर्गत 65.84 हे0 वन भूमि (गै0खास – जंगल झाड़ी– 17.25 हे0 एवं वन भूमि 48.59 हे0) का वन भूमि अपयोजन हेतु अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत ग्राम सभा से सहमति एवं अनापत्ति प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक –527 दिनांक 13.05.2016 द्वारा ग्राम पंचायत मुख्यालय – बेंती में दिनांक 16.05.2016 को ग्राम सभा की तिथि निर्धारित की गयी थी। सम्पन्न ग्राम सभा कार्यवाही की मूल पंजी पत्र के साथ संलग्न है।

सादर सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– ग्राम सभा की मूल पंजी।

विश्वासभाजन,

अंचल अधिकारी,
टण्डवा(चतरा)।

Project Officer/Agent
Churi Project

उपमहाप्रबन्धक / विभागाध्यक्ष
पर्यावरण एवं वन विभाग
सी० सी० एल० दरभंगा हाउस

ए० के० राय
परियोजना पदाधिकारी
चुरी बेंती अंडरग्राउण्ड परियोजना
एन० के० एरिया, सी० सी० एल०

आज दिनांक 16.05.2016 दिन सोमवार को ग्राम पंचायत बेंती पंचायत कार्यालय में एक ग्राम सभा का आहूत किया गया है जो कार्यालय अंचल अधिकारी टण्डवा के ज्ञापांक 527 दिनांक 13.05.2016 को मुखिया श्रीमति आरती देवी के अध्यक्षता में ग्रामसभा सम्पन्न करने हेतु बैठक रखा गया है, जो विभिन्न ग्रामों से उपस्थित होकर सभी जनता अपना हस्ताक्षर एवं निशान दिए है। महाप्रबंधक उत्तरी कर्णपुरा क्षेत्र सी.सी. एल. चुरी परियोजना के पत्रांक 8243 दिनांक 21.03.2013 के संदर्भ में उपायुक्त, चतरा द्वारा दिनांक 10.04.2013 को दिए गए निर्देश के आलोक में चुरी खदान के भूमिगत खान के उपयोग के लिए बेंती ग्राम पंचायत अन्तर्गत 65.84 हेक्टर वन भूमि (गै.म. खास :- जंगल झाड़ी - 17.25 हेक्टर एवं वन भूमि - 48.59 हेक्टर) के भूमिगत उपयोजन की कार्रवाई हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधान के अन्तर्गत वन भूमि उपयोजन के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत ग्राम सभा से सहमति एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु ग्राम सभा की तिथि 16.05.2016 को निर्धारित किया जाता है। ग्राम सभा संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालय में संबंधित ग्राम पंचायत के मुखिया की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई

16-05-16
सचिव

Project Officer/Agent
Churi Project
P.O.-Ray, Dist.-Ranchi

Aarti Devi
16.05.2016
अध्यक्ष

ए० [illegible] राय
परियोजना पदाधिकारी
चुरी बेंती [illegible] परियोजना
एन०के० [illegible] सी० सी० एल

P.O. [illegible] 16/5/16

(2)

U. C. Gupta - [signature] 16.5.16.
SO(P&P) NK.

Aman Lal
16.5.2016

1	सुखी राम	बेंती
2	[illegible]	"
3	आशिक अली	न्यु मंगरदाहा
4	[illegible]	न्यु मंगरदाहा
5	Pradip Kumar Kashi	Benti
6	Jitendra kumar paswan	Benti
7	Shibu Ganjhu	बेंती
8	M.D. Saddam	न्यु मंगरदाहा
9	md. Safik Ansari	" "
10	मो० [illegible]	" "
11	Ezarul haque	[illegible]
12	Ginilesh Kumar	Benti
13	पुनिया [illegible]	बेंती
14	Surendra Mahto	Benti
15	Rajendra [illegible]	Benti
16	Suresh Ganjhu	Benti
17	समुन्दर सिंह	"
18	Karma Ganjhu	"
19	[illegible]	
20	धनेसर राम	
21	[illegible]	
22	[illegible]	
23	[illegible]	

Project Officer
Churi Pr[oject]
P.O.-Raj. Di[st]

ए० के० राय
परियोजना पदाधिकारी
चुरी बेंती अंडरग्राउण्ड परियोजना
एन० के० एरिया, सी० सी० एल०

उपमहाप्रबन्धक / विभाग[ाध्यक्ष]
पर्यावरण एवं वन विभाग
सी० सी० एल० दरभंगा [हाउस]
राँची

28) Mukesh Ganjhu Benti
29) जगदीश गंझू बेंती
30) Gudeshwar Ganjhu Benti
31) रामियारीया देवी
32) चमनी देवी
33 सुगीया देवी
34 सुकरी देवी
35) सुरुखी देवी
36 मानो देवी
37 सुशीला देवी
38 हिरामणी देवी
39) शान्ति देवी
40) रोहिणी देवी
41) मुनिया देवी
42) देवन्ती देवी
43 देवन्ती देवी
44 सरयु गंझु
45 मिरका गंझु

ए० के० राय
परियोजना पदाधिकारी
पुरी बेंती अंडरग्राउण्ड परियोजना
एन० के० एरिया, सी० सी० एल०

Project Officer/Agent
Churi Project
P.O.-Ray, Distt-Ranchi

उपमहाप्रबन्धक / विभागाध्यक्ष
पर्यावरण एवं वन विभाग
सी० सी० एल० दरभंगा हाउस,
राँची

17 कारुणामय ता

Raj Kumar Nath

Rohit Kumar
Amit Kumar
Bhuneshwar Ganjhu
मो० अशरफ अंसारी

[signature]

तुलसी प्रसाद
पार्षद

विजय
रामेश्वर
शंकर गंझू
रतिया गंझू
चुन्नू गंझू
ननकू गंझू

सुकर गंझू
शिवलाल महतो
छोटेलाल महतो
जीवन ।।
प्रदीप ।।

सनमी महतो
चरका ।।
रामू जानकी महतो

एन. के. राय
परियोजना पदाधिकारी
Project Officer/Agent
Churi Project
P.O.-Ray Distt.-Ranchi

उपमहाप्रबन्धक / विभागाध्यक्ष
पर्यावरण एवं वन विभाग
सी० सी० एल० दरभंगा हाउस
रांची

(5)

चिन्टू गंझू
वकील कुमार
भोजेन्द्र प्रजापति
दीपक कुमार
विकम कुमार
छोटू कुमार
महेन्द्र कुमार
राहुल कुमार
संजय पासवान
किलवा देवी
सिराज
जानकी
सोनी देवी
सुनीमा देवी
करण कुमार
जगनाथ राम
सविता देवी
तेतरी देवी
हरकिशमी देवी
कारी देवी

ए० के० राय
परियोजना पदाधिकारी
चुरी
Project Officer/Agent,
Churi Project
P.O.-Ray, Dist.-Ranchi

उपमहाप्रबंधक / विभागाध्यक्ष

कमि देवी

...री देवी

तारी देवी

आंजली देवी

पार्वती देवी

लक्ष्मी कुमारी
राजेश कुमार
कलिया देवी

...मनी देवी

पमारी देवी

रनपदिया देवी

ममता देवी
रीता देवी
मोनता देवी
सरिता कुमारी

Kumar
अजय कुमार
विकास कुमार
...मनी देवी

ए० के० राय
परियोजना पदाधिकारी
चूरी भूमिगत/खुली खदान परियोजना
सी० सी० एल०

Project Officer
Churi Colliery, (C.C.L.)
P.O.-Roy, Distt.-Ranchi

उपमहाप्रबंधक / विभागाध्यक्ष
पर्यावरण एवं वन विभाग
सी० सी० एल० दरभंगा हाउस
राँची

(7)

जसोदा देवी
फुलवा करमाली
फुलमनी करमाली
लक्षमनिया देवी
सुनिता देवी
बसंती देवी
शांति देवी
सीमा कुमारी
सावित्री देवी
गीता देवी
सुनिता देवी
शांति देवी
राजपतिया देवी
लक्षमनिया देवी
सरिता देवी
शीला देवी
मानती देवी
विमला देवी
जिरहुलिया देवी
राजमनिया देवी
सिरपतिया देवी
एतवारिया देवी
मुनिया देवी
रुकमनी देवी
कांती देवी
सधनी देवी
सविता देवी
फुलवा देवी
[illegible] कुमारी

ए० के० राय
[illegible]

Project Officer/Agent
Churi Project
P.O.-Ray, Distt.-Ranchi

उपमहाप्रबन्धक / विभागाध्यक्ष
पर्यावरण एवं वन विभाग
सी० सी० एल० दरभंगा हाउस
रांची

Date
Page

बालमुनी कुमारी
सुनिया देवी
कंचन देवी
सुमन देवी
सविता देवी
सोमार देवी
असका देवी
सरिता देवी
फागुनी देवी
[illegible] देवी
बसंती देवी
रीना देवी
सीता देवी
सुनीता कुमारी
बीना देवी
सुमा देवी
रेखा देवी
अंजली कुमारी
करमी कुमारी
कुलाइया देवी
दिलदार गंझु
सेवक गंझु

Project Officer
Churi Project
P.O.-Ray, Distt.-Ranchi

ए० के० राय
परियोजना पदाधिकारी

उपमहाप्रबंधक / विभागाध्यक्ष
पर्यावरण एवं वन विभाग
सी० सी० एल० दरभंगा हाउस
राँची

धनेश्वरी देवी
गीता देवी
आज की बैठक समाप्त की गई और सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है खदान का कार्य चलने देने में कोई आपत्ति नही है

Amrit[illegible]
30/7/2016